PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 372 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ दिनांकः 20.04.2020

विषय : कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव व रोकथाम के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक
अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल, ...।

कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेशन पत्रांक 338/मा0सं0एवंप्र0वि0/ पिटकुल, दिनांक 21.03.2020, पत्रांक 349/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल, दिनांक 24.03.2020 एवं पत्रांक 351/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल, दिनांक 30.03.2020 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि पिटकुल के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक (विद्युत उपसंस्थान एवं लाईनों के परिचालन एवं अनुरक्षण एवं प्रा0मा0नि0के0 से जुड़े कार्मिकों को छोड़ते हुए) कारपोरेशन कार्यों का निष्पादन अपने आवास से कर सकते हैं। ऐसे समस्त कार्मिकों को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहने के साथ–साथ अपना मोबाईल ऑन रखते हुए अटैण्ड करना अनिवार्य है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय उनको सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कार्यालय बुलाया जा सके। उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 31.03.2020 से 14.04.2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–235/xxxi(15)G-04(सा0)/2020 दिनांक 19.04.2020 के द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश सं0 232/xxxi(15)G-04(सा0)/2020 दिनांक 18.03.2020 में दी गयी व्यवस्था को ही दिनांक 03.05.2020 तक यथावत रखे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

अतः उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्दशों के क्रम में कारपोरेशन पत्रांक 338/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल, दिनांक 21.03.2020, पत्रांक 349/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल, दिनांक 24.03.2020 एवं पत्रांक 351/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल, दिनांक 30.03.2020 के द्वारा निर्धारित व्यवस्था को दिनांक 03.05.2020 तक यथावत् रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

उपरोक्त के साथ–साथ विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना हम सब का प्रथम दायित्व है, जिसका पालन प्रत्येक दशा में करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 372/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, पिटकुल, देहरादून को अध्यक्ष महोदया के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0), पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को पिटकुल की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

संख्या–235 / xxxi(15)G–04(सा0) / 2020

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादूनः दिनांक 19 अप्रैल, 2020**

विषयः– लॉक डाउन की अवधि में प्रदेश के शासकीय कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संकमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रभावी लॉक डाउन की अवधि को दिनांक 03 मई, 2020 तक बढ़ाया गया है।

2– उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संकमण की रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–232 / **xxxi**(15)G–04(सा0) / 2020 दिनांक 18 मार्च, 2020 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संकमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों को खोले जाने एवं अधिकारियों / कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–232 / **xxxi**(15)G–04(सा0) / 2020 दिनांक 18 मार्च, 2020 में दी गयी व्यवस्था को ही दिनांक 03 मई, 2020 तक यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश की प्रति पुनः सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या– / xxxi(15)G–04(सा0) / 2020 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रिगण महोदय के संज्ञानार्थ।
6. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)

संख्या– 232 / xxxi(15)G–04(सा0) / 2020

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादूनः दिनांक 18 मार्च, 2020**

विषयः– **कोरोना वायरस (COVID-19) रोकथाम के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे Pandemic के रूप में अधिसूचित किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है एवं समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरंतर कार्यवाही / अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी कम में अवगत कराना है कि विश्व भर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए Social Distancing की सलाह दी है।

2– अतः उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी) / विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष (आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों यथा– स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि को छोड़कर) अपने अंतर्गत कार्यरत केवल उन्हीं कार्मिकों को कार्यालय में बुलायें जिनकी कार्यालय में उपस्थिति कार्यहित में अति आवश्यक है तथा शेष कार्मिकों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। सभी कार्मिक दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे तथा कार्यालय बुलाये जाने की दशा में कार्यालय पहुँचकर बताये गए शासकीय कार्य को संपादित करेंगे। जिलाधिकारीगण COVID-19 की रोकथाम तथा अन्य किसी शासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत किसी भी विभाग के अधिकारी / कर्मचारी की सेवायें प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे तथा इस उद्देश्य से उनके आदेश पर उक्त अधिकारी / कर्मचारी की कार्यालय में उपस्थिति तथा बताए गए कार्य को संपादित कराना बाध्यकारी होगा। यह निर्देश एक सप्ताह (दिनांक 19 मार्च, 2020 से 25 मार्च, 2020 तक) तक प्रभावी रहेंगे।

इसके अतिरिक्त समस्त कार्यालयों में पत्र संख्या 23प / आईडीएसपी / COVID-19 /2020/543, दिनांक 15 मार्च, 2020 के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव